न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– जगदीश आर्य

सिविल प्रकरण संख्याः– 46 / 2018 तारीख रजू 26.11.2018

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।
..........आवेदक

बनाम

1. रूपचन्द जैन पुत्र हेमराज जैन निवासी 178 एम.पी.कॉलोनी पोस्ट एवं जिला सवाई माधोपुर (फर्म मालिक) मैसर्स सुनिता जनरल स्टोर टोंक बस स्टेण्ड के पास, बजरिया, जिला सवाई माधोपुर।
2. मुरारी लाल गुप्ता (फर्म मालिक) S.M. MILKOS, JAIPUR B-35 NEW RAJDHANI KRISHI UPAJ MANDI KUKARKHERA SIKAR ROAD JAIPUR (RAJ)
3. सुरेन्द्र पाल जाजोरिया (नोमिनी) उमंग डेयरीज लिमिटेड 3 किमी. स्टोन गजरौला हसनपुर रोड, गजरौला– 244235 जिला अमरोहा (उ.प्र.)
4. उमंग डेयरीज लिमिटेड 3 किमी. स्टोन गजरौला हसनपुर रोड, गजरौला– 244235 जिला अमरोहा (उ.प्र.) (निर्माता फर्म)

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– **दिनांक 05.06.2024**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेश कुमार चेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 18.06.2018 को समय 01.00 पी.एम. पर मैसर्स– सुनिता जनरल स्टोर टोंक बस स्टेण्ड के पास बजरिया, पोस्ट एवं जिला सवाई माधोपुर पर पहुंचा। वहां पर रूपचन्द जैन पुत्र हेमराज जैन निवासी 178 एम.पी.कॉलोनी पोस्ट एवं जिला सवाई माधोपुर (खाद्य विक्रेता एवं फर्म मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया एवं आवेदक द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन / खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति दिखाई गई। तत्पश्चात् विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया। परिसर में रखे **खाद्य पदार्थ घी (उमंग) 500 मिली के** 22 पैकेट्स दुकान की रैक में रखे हुए थे। आवेदक ने विक्रेतासे खाद्य पदार्थ **घी (उमंग) 500 मिली** का क्रय बिल मांगा, विक्रेता ने मौके पर बिल नहीं होना बताया। आवेदक ने खाद्य पदार्थ **घी (उमंग) 500 मिली** का नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा **खाद्य पदार्थ घी (उमंग) 500 मिली** के 04 पैकेट

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 720/– रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **खाद्य पदार्थ घी (उमंग) 500 मिली** के 04 पैकेट को मूल ही लेकर आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक H-1375 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनो पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता रूपचन्द जैन पुत्र हेमराज जैन ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की एक प्रति के एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर तथा अलग से फार्म नम्बर 6 की 2 प्रतियां एक लिफाफे में सील मोहर कर, आउटर कवर में सील बन्द नमूना व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा श्री मोहम्मद असलम वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा खाद्य विश्लेषक कोटा (राजस्थान) के यहॉ जमा करवाये जिनकी रसीद प्राप्त की। नूमने के दो सील बंद डिब्बे (ii व iii पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का शेष एक सील बन्द पैकेट (iv पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर आवेदक के द्वारा डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाईमाधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/3639 दिनांक 16.07.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा की जॉच रिपोर्ट संख्या 376/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/ 2018/413 दिनांक 09.07.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ घी (उमंग) 500 मिली** का नमूना मिथ्याछाप (मिसब्राण्ड) प्रकृति का पाया गया।

आवेदक द्वारा मैसर्स सुनिता जनरल स्टोर टोंक बस स्टेण्ड के पास बजरिया जिला सवाई माधोपुर को क्रय बिल हेतु पत्र लिखा गया। मैसर्स सुनिता जनरल स्टोर टोंक बस स्टेण्ड के पास बजरिया जिला सवाई माधोपुर के द्वारा वेट इन्वाईस की प्रति पेश की गई। आवेदक द्वारा S.M. MILKOS, JAIPUR B-35 NEW RAJDHANI KRISHI UPAJ MANDI KUKARKHERA SIKAR ROAD JAIPUR (RAJ) को पत्र लिखा गया । S.M. MILKOS, JAIPUR B-35 NEW RAJDHANI KRISHI UPAJ MANDI KUKARKHERA SIKAR ROAD JAIPUR (RAJ) के द्वारा खाद्य अनुज्ञापत्र, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं क्रय बिल की प्रतियां पेश की गई। उमंग डेयरीज लिमिटेड 3 किमी. स्टोन गजरौला हसनपुर रोड

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

skin" स्लोगन बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के आम जनता को भ्रमित करने का कृत्य किया है, जोकि सेक्शन 24(1)(2)(b)(c) का उल्लंघन है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(A)(i)(a)(C)(i)) (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) प्रकृति के **खाद्य पदार्थ घी (उमंग) 500 मिली** का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत अभियुक्तगण पर 50,000/–रू0 (अक्षरे पचास हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **05.06.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश आर्य)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर